संदर्भ सं. / Ref. No: -- दिनांक / Date : 03-01-2022

प्रेस विज्ञप्ति
PRESS RELEASE

1 अप्रैल 2020 की प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा स्पष्ट किया गया कि सभी क्षतिपूर्ति आधारित स्वास्थ्य बीमा उत्पाद जो सभी साधारण और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों द्वारा प्रस्तावित रूप में अस्पताल में भर्ती के चिकित्सा व्ययों को कवर करते हैं, कोविड-19 के कारण अस्पताल में भर्ती के द्वारा चिकित्सा के व्ययों को कवर करते हैं।

The Press release of 1st April, 2020 clarified that all the indemnity based health insurance products that cover the treatment costs of hospitalization offered by all general and health insurance companies cover the costs of hospitalization treatment on account of Covid -19.

ओमिक्रान रूपभेद (वेरियन्ट) के अंतर्गत सूचित किये जा रहे कोविड-19 मामलों की व्याप्ति के हाल के उदाहरणों के परिणामस्वरूप, यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी साधारण और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों द्वारा जारी की गई पालिसियाँ जो कोविड-19 के चिकित्सा व्ययों को कवर करती हैं, पालिसी संविदा की शर्तों के अनुसार कोविड-19 के ओमिक्रान रूपभेद के लिए चिकित्सा के व्ययों को भी कवर करती हैं।

In the wake of recent instances of spread of Covid-19 cases being reported under Omicron variant, it is clarified that all health insurance policies issued by all general and health insurance companies that cover treatment costs of Covid-19 also cover the costs of treatment towards Omicron variant of Covid-19 as per terms and conditions of policy contract.

बीमा कंपनियाँ सभी पालिसीधारकों को अस्पताल में भर्ती की स्थिति, यदि कोई हो, में निर्बाध नकदीरहित सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए अपने सभी नेटवर्क प्रदाताओँ (अस्पतालों) के साथ प्रभावी समन्वय की व्यवस्था लागू करें तथा त्वरित सेवाएँ प्रदान करें।

The Insurance companies shall put in place effective coordination mechanism with all their network providers (hospitals) for the purpose of making available seamless cashless facility to all policyholders in case of hospitalisation if any and render speedy services to all policyholders.

अस्पतालों से भी अनुरोध है कि वे उन सेवा स्तरीय करारों (एसएलए) का पालन करें जो स्वास्थ्य बीमा पालिसीधारकों को नकदीरहित चिकित्सा उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए किये गये हैं।

The hospitals are also requested to honour the service level agreements (SLA) that have been entered with insurance companies for the purpose of providing cashless treatment to health insurance policyholders.